न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या— 01/2017

बउनवान

श्योपाल पुत्र लोडक्या आयु 40 वर्ष, जाति चमार, निवासी कोयला, तहसील व जिला बारां (राज0)

(प्रार्थी)

बनाम

1. परमलाल पुत्र धन्नालाल, जाति गुर्जर, निवासी तिसाया
2. दुर्गा बाई पत्नि परमलाल, जाति गुर्जर, निवासी तिसाया, तहसील बारां, जिला बारां (राज.)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0)

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 14 (4) कृषि भू आवंटन नियम, 1970

उपस्थिति :— 1. श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी, अभिभाषक (प्रार्थी)

2. श्री बालमुकंद गुर्जर, अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 08.02.2023

प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण कम 1 व 2 द्वारा पटवारी सरपंच से मिलीभगत कर दिनांक 21.12.2001 को फर्जी आवंटन खसरा नंबर 960/1302 रकबा 0.36 है. वाके ग्राम तिसाया तहसील बारां का आवंटन अपने नाम करवा लिया। वक्त आवंटन उक्त आराजी खाली भूमि नही थी। खसरा नंबर 960 वाके तिसाया प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी है, तथा खसरा नंबर 960 पर प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। आवंटन नियमानुसार आवंटन भूमि पर एक वर्ष के अन्दर आवंटी को कब्जा या दखल प्राप्त करना आवश्यक होता है, लेकिन अप्रार्थी कम 1 व 2 तथा उनके पूर्वज द्वारा उक्त आराजी पर दखल व कब्जा मौके पर नही दिया गया है तथा राजस्व कर्मचारियों ने बिना कब्जा काश्त देखे ही अप्रार्थी कम 1 व 2 को दिनांक 30.03.2002 को गैरखातेदारी अधिकार आराजी खसरा नंबर 960/1302 वाके ग्राम तिसाया पर दे दिये है। राजस्व रेकार्ड में नामान्तकरण संख्या 609 के अनुसार अप्रार्थी कम 1 व 2 को भिन्न खसरा नंबर पर खातेदारी अधिकारी दिनांक 24.11.2005 को दे दिये गये, जबकि मौके पर ऐसी कोई भूमि विद्यमान नही है। और ना ही किसी प्रकार का आवंटन आदेश अप्रार्थी कम 1 व 2 के नाम लिखित में जारी किया गया है। खसरा नंबर 960 प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी है जो एक मात्र प्रार्थी के परिवार के भरण पोषण का साधन है। अप्रार्थी कम 1 व 2 प्रार्थी की पैतृक आराजी खसरा नंबर 960 के भू भाग पर कब्जा करने की कोशिश करते है।, जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और ना ही अप्रार्थी को आवंटित खसरा नंबर की कोई तरमीम दर्ज है। अप्रार्थी कम 1 व 2 आवंटन की आड में प्रार्थी की पैत्रिक आराजी खसरा नंबर 960 के भू भाग पर जबरन कब्जा करने को आमादा है, जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी कम 1 व 2 को आवंटित आराजी खसरा नंबर 960/1302 रकबा 0.36 है दिनांक 21.12.2001 निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.22 12:46:49 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से भू आवंटन रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 ने जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 भूमिहीन होने से नियमानुसार आवंटन हुआ था। आवंटन के बाद से ही अप्रार्थीगण आराजी खसरा नंबर 960 रकबा 0.36 है. वाके माल तिसाया तहसील बारां पर वर्तमान समय तक काबिज काश्त हैं। लेकिन प्रार्थी, अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 के कब्जे काश्त व खाते की आराजी वर्तमान खसरा नंबर 1434 / 1302 रकबा 0.36 है. माल तिसाया तहसील बारां के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करने व अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 वर्तमान समय में बोई गई फसल को भी द्वेषतावश फसल में पानी भर देता है, फसल को जानवरों से नष्ट करवा देता है, इस तरह का निन्दनीय कृत्य कारित करते हुये आप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 को परेशान करता चला आ रहा है। जबकि पूर्व में प्रार्थी को उपजिला कलक्टर द्वारा अप्रार्थीगण को उक्त आराजी को काश्त करने, फसल बुहाई व फसल को नष्ट नही करने हेतु पाबंद किया हुआ है। उसके बावजूद भी प्रार्थी अप्रार्थीगण को लगातार परेशान करने से बाज नही आ रहा है। अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 उक्त विवादित आराजी के खातेदार हैं और आवंटन के बाद से ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावें।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने मिलीभगत कर दिनांक 21.12.2001 को ग्राम तिसाया की आराजी खसरा नंबर 960 / 1302 रकबा 0.36 है. का आवंटन अपने पक्ष में करवा लिया। इस आराजी के लगवां प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी खसरा नंबर 960 वाके तिसाया स्थित है। राजस्व कर्मियों ने बिना जांच किये ही पहले गैर खातेदारी तथा बाद में गलत नंबर पर खातेदारी प्रदान की गई है। मौके पर खसरा नंबर 960 / 1302 नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के पक्ष में पारित किया गया आवंटन आदेश दिनांक 21.12.2001 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कथन किया कि अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 भूमिहीन होने से आराजी खसरा नंबर 960 रकबा 0.36 है. वाके माल तिसाया का नियमानुसार आवंटन किया जाकर दखल दिया गया है। आवंटन के बाद से ही अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर वर्तमान समय तक काबिज काश्त चले आ रहे हैं जिससे नियमानुसार अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 को आराजी खसरा नंबर 1434 / 1302 रकबा 0.36 है. माल तिसाया तहसील बारां पर खातेदारी अधिकार भी प्रदान कर दिये गये हैं। प्रार्थी, अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करने की कोशिश करते है। अतः खातेदार के विरूद्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवंटन नियम 1970 पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.22 12:46:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संदर्भ में तहसीलदार [illegible] ग्राम तिसाया की आराजी खसरा नंबर 1434 / 1302 रकबा 0.36 है. अप्रार्थी[illegible] ग्राम तिसाया की आराजी खसरा नंबर 960 / 1302 रकबा 0.36 है. [illegible] दिनांक 21.12.2001 को आवंटित हुई थी, के वर्तमान राजस्व रिकार्ड की मौका स्थिति की रिपो[illegible]मय राजस्व रिकार्ड की प्रति सहित चाही गई। तहसीलदार बारां से वांछित रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

न्यायालय जिला कलेक्टर
बारां राज०

तहसीलदार बारां से प्राप्त मौका रिपोर्ट व रेकार्ड अनुसार खसरा नंबर 1434/1302 रकबा 0.36 है. दुर्गाबाई पत्नि परमलाल हिस्सा 1/2, परमलाल पुत्र धन्नालाल हिस्सा 1/2 जातिगण गुर्जर बहैसियत खातेदार दर्ज है, उक्त आराजी पर स्वयं खातेदार काबिज है तथा मौके पर वर्तमान में गेहूं की फसल बो रखी है। खसरा नंबर 960/1302 रकबा 0.35 है. भूमि रामचन्द्र पुत्र भैरूलाल हिस्सा 1/9, लटूरबाई पत्नि भैरूलाल हिस्सा 2/3, संतोषबाई पुत्री भैरूलाल हिस्सा 1/9, साहबलाल पुत्र भैरूलाल हिस्सा 1/9 जातिगण बैरवा के दर्ज रेकार्ड है। मौके पर श्योपाल पुत्र गोबरीलाल जाति चमार का कब्जा है, जांच के दौरान ये जाहिर हुआ है कि खातेदारान ने खसरा नंबर 960/1302 रकबा 0.35 है. का बैचान व्यवहारिक तौर पर कर दिया है, परन्तु प्रतिफल राशि का सम्पूर्ण चुकारा नही होने से रजि0 नही होता बताया गया। आराजी खसरा नंबर 960/1302 रकबा 0.35 है. गैर खातेदारी से अमल हुआ है।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा तहसीलदार बारां से रिपोर्ट पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक रेकार्ड आराजी खसरा नंबर 960/1302 रकबा रकबा 0.36 है. का आवंटन भैरूलाल पुत्र रतनलाल तथा लटूरीबाई पत्नि भैरूलाल, जातिगण बैरवा निवासी तिसाया को किया गया। जिसका गैरखातेदारी का नामांतकरण दिनांक 15.01.2002 को स्वीकृत हुआ। जमांबदी संवत् 2073–76 ग्राम तिसाया के अनुसार उक्त भूमि की खातेदारी रामचन्द्र पुत्र भैरूलाल, लटूरीबाई पत्नि भैरूलाल, संतोषबाई पुत्री भैरूलाल, साहबलाल पुत्र भैरूलाल को प्रदान की जा चुकी है। आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 14(4) के तहत पोषणीय नहीं होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 14(4) के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, बारां
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.22 12:46:49 IST
Reason: SelfAttested